

FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

बनवारीलाल

बनाम

उप तहसीलदार

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र स्थगन

मु0न0 48/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुकमकी तामील में जारी हुए
04.10.2017	<p>अपीलांट की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल बिजारगिया उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा मु.न. 100/2017 अनुवानी सरकार बनाम बनवारीलाल में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने हेतु पेश किया है।</p> <p>प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के निर्णय दिनांक 17.07.2017 की आगामी तारीख पेशी 26.10.2017 तक क्रियान्विति स्थगित रखी जावे।</p> <p>आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.10.2017 को पेश हो।</p>	
26/10/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी लख होठर पत्रावली दि. 26/10/17 को पेश हो।	
26/12/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बाकपूड सुपना अनुपस्थित। पत्रावली आग्रन्दा पूरा पत्रावली के साथ दि. 10/01/18 को पेश हो।	
10/01/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आग्रन्दा पूरा पत्रावली के साथ दि. 10/01/18 को पेश हो।	
17/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली पूरा अपील के साथ दि. 29/1/18 को पेश हो।	
29/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र से संबंधित अपील का निवृत्तारण के चक्रांत के बह प्रार्थना-पत्र का कोई क्रियान्विति नहीं रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।	